सांख्यिक वित्त निदेशालय

वित्त विभाग, बिहार, पटना

सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधानों के आलोक में सांख्यिक वित्त निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार के अंतर्गत विधि परामर्शी के एक (01) पद पर बिहार अभियोजन सेवा संवर्ग (वेतन स्तर–11 से अन्यून) से सेवानिवृत पदाधिकारी को संविदा के आधार पर नियोजन के लिए विहित प्रपत्र में सुयोग्य सेवानिवृत सरकारी सेवकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

1. आवेदन पत्र का प्रारूप, अनुभव, योग्यता, मानदेय, आयु सीमा, आरक्षण विज्ञापन की शर्तें एवं अन्य जानकारी वित्त विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/finance से प्राप्त की जा सकती है।
2. आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि–09.03.2026 के अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है।

(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

संचिका सं0–07/स्था0–02/2025

बिहार सरकार

वित्त विभाग

(सांख्यिक वित्त निदेशालय)

नियोजन हेतु सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधानों के आलोक में सांख्यिक वित्त निदेशालय, वित्त विभाग के अंतर्गत विधि परामर्शी के एक (01) पद पर बिहार अभियोजन सेवा संवर्ग (वेतन स्तर–11 से अन्यून) से सेवानिवृत पदाधिकारी को संविदा के आधार पर नियोजन के लिए विहित प्रपत्र में सक्रिय, कर्मठ एवं सुयोग्य सेवानिवृत सरकारी सेवकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

2. पदों से संबंधित विवरण के साथ-साथ अपेक्षित पात्रता संबंधित शर्ते निम्नानुसार है:-

(1) पदों की संख्या: 01 (विधि परामर्शी)- अनारक्षित

(2) योग्यता:- बिहार अभियोजन सेवा के वेतन स्तर–11 से अन्यून सेवानिवृत्त पदाधिकारी जिन्हें वित्त विभाग में न्यूनतम तीन (03) वर्षो का कार्यानुभव हो को संविदा पर नियुक्त किया जायेगा। इनके मानदेय का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर होगा, जो नियत (Fix) रहेगा अर्थात् सेवानिवृत्त पदाधिकारी को अंतिम प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि देय होगा।

(3) विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, वित्त विभाग में कार्य करने के अनुभव संबंधी दस्तावेज, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (C.M.O) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, बिहार अभियोजन सेवा के वेतन स्तर–11 से अन्यून पद से सेवानिवृत्त होने संबंधी कागजात, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साईज का चार रंगीन फोटो के साथ **दिनांक–09.03.2026** के अपराह्न **04.00** बजे तक निदेशक, सांख्यिक वित्त निदेशालय, पुराना सचिवालय, पटना, पिन कोड–800015 को केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। डाक में विलंब होने की स्थिति में निदेशालय की कोई जवाबदेही नहीं होगी। उपरोक्त निर्धारित तिथि से विलंब से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4) आयु सीमा:-**दिनांक–31.03.2026** को **65** वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए।

(5) यह नियोजन संविदा के आधार पर प्रथम दो (02) वर्ष के लिए किया जायेगा। संतोषप्रद सेवा रहने पर एक-एक साल का अवधि विस्तार किया जायेगा, जो अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक होगा। संतोषप्रद सेवा नहीं पाये जाने पर किसी भी समय बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।

(6) उक्त पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सांख्यिक वित्त निदेशालय के पास सुरक्षित होगा, इसके विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(7) आवश्यकतानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर केवल Shortlisted अभ्यर्थियों के संवर्ग नियंत्री प्राधिकार से अनापति प्राप्त करने के उपरांत चयन समिति के समक्ष विचार हेतु उपस्थापित किया जायेगा।

3. अभ्यर्थी अंतिम विभाग द्वारा निर्गत कार्य मुल्यांकन प्रतिवदेन (PAR) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।

4. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो, इससे संबंधित शपथ पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

5. सेवानिवृत्त आवेदकों के लिए आवेदन पत्र के साथ अंतिम प्रमाण पत्र एवं पेंशन बुक (यदि निर्गत हो चुका हो) की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

6. नियोक्ता एवं नियोजित कर्मी के बीच एक एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा।

7. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य सुविधा के हकदार नहीं होगे।

8. सरकारी सेवा में नियमितीकरण का निय़ुक्त संविदा कर्मी/पदाधिकारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

9. अभ्यर्थी को साक्षात्कार में बुलाये जाने पर यात्रा भत्ता एवं अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

10. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को सभी मूल वांछित कागजात एवं मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विधि परामर्शी के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन का प्रपत्र

स्व अभिप्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नामः-
2. पिता का नामः-
3. लिंगः-
4. नागरिकताः-
5. जन्म तिथिः-
6. सेवानिवृत्ति की तिथिः-
7. शैक्षणिक योग्यताः-
8. (i) अंतिम धारित पद का पदनामः-
   (ii) अंतिम धारित पद का वेतनः-
   (iii) सेवानिवृति के समय कार्यरत विभाग/कार्यालय का नामः-
   (iv) वित्त विभाग में कार्य करने का कितने वर्षो का अनुभव प्राप्त हैः-
   (v) वित्त विभाग के कार्यानुभव से संबंधित विवरणः-
   (संबंधित कागजात का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे)
   (vi) बिहार अभियोजन सेवा में योगदान की तिथि एवं कार्यरत्त अवधिः-
9. स्थायी पताः-
10. वर्तमान पत्राचार का पताः-
11. मोबाईल नं०ः-
12. ई-मेल आई०डी०ः-
13. घोषणाः-

एतद् द्वारा मै घोषणा करती/करता हूँ कि उपरोक्त सूचना एवं संलग्न कागजात सही है। मेरे उपर किसी प्रकार का आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है, तथा स्वास्थ्य के दृष्टि से कर्त्तव्य पालन हेतु मै सक्षम हूँ।

किसी प्रकार की त्रुटि अथवा गलत सूंचना देने का दोषी पाये जाने पर मेरा आवेदन अमान्य किया जा सकता है। विभाग मेरे विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगी एवं इसकी पूर्ण जबावदेही मेरी होगी।

स्थानः-....................

दिनांकः-...............

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षरः-...........

(i) हिन्दी में.......................

(ii) अंग्रेजी में.......................